


फसल का बीमा कराओ संकट आने पर राहत पाओ



विभिन्न जोखिमों से बचने के लिए अपनी फसल का बीमा कराएं।

किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने वाले किसान बैंक को समय पर बीमा कम्पनियों को प्रीमियम भुगतान करने के लिए कहें।

ऋण न लेने वाले किसान भी अपनी फसलों का बीमा कराएं। वह अपने नजदीकी बैंक शाखा/कोऑपरेटिव बैंक/अपने प्रखंड के कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें।

प्रीमियम एवं लागू दावे का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.farmer.gov.in/insurance से प्राप्त किया जा सकता है।

कृष्या रबी फसल के लिए 31 दिसम्बर तक बीमा कराएं।



कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नं. 1800-180-1551 पर कॉल करें।